न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 29 / 2021

हरिप्रसाद गर्ग, हजारी का मौहल्ला रानी के कुए के सामने, अलवर ।

बनाम

तहसीलदार, तहसील नगर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 31.03.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट हरिप्रसाद गर्ग, हजारी का मौहल्ला रानी के कुए के सामने, अलवर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2021 को तहसीलदार नगर से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार, नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 264 दिनांक 22.03.2021 के द्वारा तहसीलदार नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार नगर से उनके पत्र कमांक / 62 दिनांक 30.03.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार, नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार, नगर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार, नगर ने अपने जबाब पत्र कमांक 62 दिनांक 30.03.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाहीं गई सूचनाऐं उनके कार्यालय की न होकर ग्राम कामलीपुर तहसील सीकरी की है, जो तहसीलदार सीकरी से प्राप्त की जानी है। इस बाबत अपीलान्ट को उनके कार्यालय पत्रांक 30 दिनांक 27.01.2021 से सूचित किया जा चुका है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं तहसील कार्यालय सीकरी से सम्बंधित है। तहसीलदार नगर के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अपीलान्ट की उक्त अपील को खारिज किया जाता है। अपीलान्ट वांछित सूचनाऐं प्राप्त करने हेतु तहसीलदार सीकरी के यहां कार्यवाही कर सकता है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार,नगर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नगर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर